मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3567

03 अप्रैल, 2023 को उत्तर के लिए

महरौली, दिल्ली में अतिक्रमण हटाया जाना

3567. # श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के महरौली क्षेत्र में गत फरवरी माह में अतिक्रमण हटाने के बाद सुरक्षित की गई भूमि का क्षेत्रफल कितना है;

(ख) गत एक दशक के दौरान इस क्षेत्र में कितने एकड़ भूमि का अतिक्रमण हुआ है;

(ग) अतिक्रमण न रोकने के लिए कौन-कौन सी एजेंसियां/अधिकारी जिम्मेदार हैं;

(घ) क्या यह सच है कि अतिक्रमण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार अधिकारी अवैध पैसा वसूल कर अतिक्रमण करवाते हैं; और

(ङ) विगत दशक के दौरान अतिक्रमण रोकने में असफल रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि दक्षिण जिले के गांव लाडो सराय और महरौली की सीम लाइन की सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया है। डीडीए अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित रूप से विध्वंस अभियान चला रहा है। फरवरी 2023 में महरौली गांव में डीडीए द्वारा कोई विध्वंस कार्यक्रम नहीं किया गया है। तथापि, फरवरी, 2023 में महरौली गाँव के क्षेत्र से सटे लाडो सराय गाँव (महरौली पुरातत्व पार्क का हिस्सा) में अतिक्रमण हटाकर डीडीए द्वारा लगभग 6,970 वर्ग गज का क्षेत्र सुरक्षित कर लिया गया है।

(घ) और (ड): डीडीए ने सूचित किया है कि जब भी भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो आरोपों की जांच की जाती है और यदि आवश्यक हो, तो मौजूदा नियमों के अनुसार जांच के लिए डीडीए के सतर्कता विभाग को भी भेजा जाता है। आवश्यकतानुसार आवश्यक विभागीय एवं अन्य कार्रवाई की जाती है।

******